Department of Tourism had also been requested to extend co-operation to the Government of Haryana in the development of Sihi. The extent of financial contribution and coopera-tion by the Central Government to-wards the project can be determined on the basis of detailed proposals of the State Government of Haryana which have not yet been received.

उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब में गन्ने की देय राशि

900. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब के चीनी मिलों ने किसानों की वर्ष 1978-79 के लिए उनके गन्ने की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भुगतान न करने वाले मिलों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) किसानों की कुल कितनी राशि बकाया है और उसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) . उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा 1-2-79 को गन्ने के मूल्य की जो बकाया रकम देनी थी उसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

राज्य	(आंकड़े लाख रुपयों में) बकाया रकम		
	1978-79 मौसम	पूर्व के मौसम	जोड़
उत्तर प्रदेश	3,092.01	1,803.67	4,895.68
बिहार	863.73	178.28	1,042.01
हरियाणा	356.42	1.72	358.14
पंजाब	194.46	3.28	197.74

चीनी फैक्ट्रियां द्वारा गन्ने की देय राशि का भुगतान न करने का मुख्य कारण नियंत्रण क बाद चीनी के मूल्यों में भारी गिरावट आना और पर्याप्त बैंक उधार लेने में कठिनाइयां होना है । सरकार चीनी फैक्ट्रियों की आवश्यक ऋण दिलाने में मदद करने के लिए उच्चतम स्तर पर इस मामले को उठा रही है । सरकार चीनी प्रतिष्ठान (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम 1978 के उपबन्धों को भी लागू कर रही है । और उन 7 चीनी मिलों का प्रबन्ध अधिकार में ले लिया है जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक गन्ने के मूल्य की बकाया राशि देनी थी । 5 लाख मीटरी चीनी कर बफर स्टाक तैयार करने का निर्णय लिया जा चुका है और चीनी का निर्यात भी उदार कर दिया गया है । ये उपाय चीनी मिलों को सक्षम बनाने और उनकी वित्तीय स्थिति सशक्त बनाने की दृष्टि से किए गए हैं ताकि वे यथाशीघ्र गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करने की स्थिति में आ सकें ।

दिल्ली की कालोनियों में जल की सप्लाई

901. श्री राम विलास पासवान : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मायापुरी स्थित एम० आई० जी० फ्लैटों में दोषपूर्ण जल सप्लाई योजना के कारण जल दूसरी मंजिल के फ्लैटों और छतों पर बनी टंकियों तक नहीं पहुंचता है और पहली मंजिल के फ्लैटों पर भी बहुत कम पानी आता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां के निवासियों के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय करने का विचार है तथा इनको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग). इन फ्लैटों के लिए बड़ी मात्रा में पानी की सप्लाई दिल्ली नगर निगम द्वारा पम्पिंग स्टेशन तथा भूमिगत जलाशय से उपलब्ध कराई जाती है जिनका निर्माण कार्य ज्वाला में चल रहा है। इस कार्य को समाप्त करने में दिल्ली नगर निगम को $2\frac{1}{2}$ साल लग जायेंगे । तब तक के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने 2 नलकूपों से जलपूर्ति कर रहा है। यद्यपि, प्रथम मंजिल पर जलपूर्ति की कोई कठिनाई नहीं है किन्तु दूसरी मंजिल पर व्यस्ततम समय में जल का दबाव अपर्याप्त होता है । इस स्थिति को सुधारने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण 60,000 गैलन जल की क्षमता वाला टैंक बना रहा है जिसमें पानी के बन्द होने वाले समय में पानी भरा जायेगा और तब पानी और अधिक दबाव से आयेगा । दिल्ली विकास प्राधिकरण का कुल उपलब्ध जल की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक और नल कूप लगाने का प्रस्ताव है ।